

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, २०२४

निम्नलिखित अधिनियमों की संशोधित करने हेतु विधेयक, अर्थातः—

- (१) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ (क्रमांक २ सन् २०१६).
 - (२) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६९ (क्रमांक २० सन् १९६९).
 - (३) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१९ (क्रमांक ३४ सन् २०१९)
 - (४) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६९ (क्रमांक ६ सन् १९६९).
 - (५) महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८).
- (उपरोक्त अधिनियम जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियमों के नाम से निर्दिष्ट हैं)।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान—मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन अधिनियम, २०२४ है।
(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारंभ।

२. मूल अधिनियम में सर्वत्र,—

मूल अधिनियम
में सर्वत्र कठिपय
शब्दों का स्थापन।

- (१) हिन्दी संस्करण में शब्द “कुलपति”, जहाँ कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, “कुलगुरु” तथा शब्द “प्रो—वाइस चांसलर” एवं “प्रति—कुलपति”, जहाँ कही वे आए हों, के स्थान पर शब्द “प्रति कुलगुरु” स्थापित किए जाएं।
- (२) अंग्रेजी संस्करण में शब्द “कुलपति” जहाँ कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द “वाइस चांसलर” स्थापित किया जाए।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की १००वीं बैठक में “कुलपति” के पदनाम को “कुलगुरु” में परिवर्तित किए जाने की अनुशंसा की गई है। अतएव, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ (क्रमांक २ सन् २०१६), मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६९ (क्रमांक २० सन् १९६९), अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१९ (क्रमांक ३४ सन् २०१९), महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६९ (क्रमांक ६ सन् १९६९), तथा महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) के हिन्दी संस्करण में शब्द “कुलपति” के स्थान पर, शब्द “कुलगुरु” स्थापित किया गया है। साथ ही शब्द “प्रो—वाइसचांसलर” तथा “प्रति—कुलपति” के स्थान पर शब्द “प्रति—कुलगुरु” स्थापित किया गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी संस्करण में शब्द “कुलपति” के स्थान पर शब्द “वाइस चांसलर” स्थापित किया गया है।

२. अतएव, उपरोक्त अधिनियमों को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

३. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

दिनांक : १३ दिसम्बर, २०२४.

इंदर सिंह परमार
भारसधक सदस्य।